

**प्रेस नोट:-**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 13.10.2019**

### **शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.10.2019 को जनपद के थानों से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 45 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

#### **01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रामसुरेश पुत्र अशर्फीलाल नि0 पूरेसुकाली थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 363/19, धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम 02. कर्ताराम पुत्र रामरंग नि0 पूरेसुकाली थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 364/19, धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम व 03. कलावती उर्फ लैला पत्नी मेवालाल नि0 माधवगंज थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 365/19, धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### **02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. अवधेश तिवारी पुत्र उमाशंकर तिवारी नि0रुदौली थाना परसपुर के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-267/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **लड़की का अपहरण करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त- अजमत अली उर्फ हैरान अली पुत्र अकबर अली निवासी दुर्जनपुर घाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-295/19, धारा 363.366 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 05.10.2019 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को पारसराय रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही लड़की का अपहरण करने के एक और अभियुक्त- पवन कुमार उर्फ मल्हू पुत्र नवई राम निवासी चुरईडीह थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-251/19, धारा 363.366 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 15.05.2019 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माता द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को कस्बा इटियाथोक से गिरफ्तार कर लिया दोनों ही प्रकरणों में अपहृताओं को भी बरामद कर लिया गया व दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त - मनोज यादव पुत्र राधेश्याम निवासी नयेपुरवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-234/19 धारा 376 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 12.10.2019 को थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ शौच के दौरान दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना कटराबाजार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसपर कटराबाजार पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बनगांव पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 13.10.2019

### गौवंश निवारण अधिनियम में 10 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. हामिद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
02. अब्दुल वाजिद पुत्र हामिद निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
03. अब्दुल खालिक पुत्र हामिद निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
04. अब्दुल मजीद पुत्र हामिद निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
05. अब्दुल साहिद पुत्र हामिद निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
06. रहीम अहमद पुत्र रसीद अहमद निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
07. कादिर पुत्र जानू निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
08. शाबिर खां पुत्र कासिर निवासी सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
09. बिहारीलाल पुत्र रामप्रसाद चौहान सा० बाबूपुर मिश्रनपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
10. लल्लन पाण्डेय पुत्र पारसनाथ पाण्डेय सा० चरेरा बक्शीलाल पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-235/19, धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

#### अभियुक्त हामिद का अपराधिक इतिहास—

- मु०अ०सं०- 190/14 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
- मु०अ०सं०- 266/16 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
- मु०अ०सं०- 267/16 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

#### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध व अपराधियों के रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षकध्यानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना कटराबाजार पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी कटराबाजार अपने हमराहीगण के साथ रात्रिगस्त में मामुर थे कि जरिये मुखबिर सुचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम सिसईजोगा में मक्के के खेत में कुछ लोगो द्वारा गौवंश काटा जा रहा है इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार ने मय पुलिस बल के साथ दबिश दी तो मौके से हामिद उपरोक्त सहित 10 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया व घटना स्थल से 50 किग्रा० गौवंशीय माँस, एक अदद तराजू व बाँट व दो अदद चाकू भी बरामद हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायलय भेजा गया

#### गिरफ्तारकर्ता टीम:—

01. थाना प्रभारी कटराबाजार मनोज कुमार सिंह ।
02. एसआई रामप्रकाश यादव ।
03. एसआई राजकुमार यादव ।
04. एसआई अखिलेश यादव ।
05. एसआई सत्यनारायण ।
06. एसआई कर्मवीर ।
07. हे०का० जगदीश राय ।
08. का० राजेश कुमार मिश्रा ।
09. का० देवनाथ यादव ।
10. का० गौरव सिंह ।
11. का० अनिल सिंह ।
12. का० चालक सत्यपाल यादव ।

